तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
15-9-2025	**एकल–पीठ** **श्री मदनलाल नेहरा, सदस्य** **उपस्थित :** श्री आर.एस.राणावत, अभिभाषक प्रार्थी के ब्रीफ होल्डर श्री वैभवकृष्ण पारीक। श्री नरसिंह रावत, अभिभाषक अप्रार्थी सं.1 **आदेश** 1. हस्तगत् अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16–9–2019 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। 2. अभिभाषक उभय पक्ष ने जरिये राजीनामा पत्र दिनांक 31–12–2024 जो 500/–रूपये के नोन ज्यूडीशियम स्टाम्प नोटेरी से तस्दीकशुदा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पक्षकारान के मध्य आपसी समझाईस, गाँव समाज के मौतविरान लोगो के समझाने बुझाने से प्रथम पक्ष द्वारा प्रस्तुत वाद मु.न. 229/2019 हाल मु.न. 115/2022 व अपील 30/2019 मे राजीनामा हो गया है, जिसके तहत अब प्रथम पक्ष भौरीदेवी अपना वाद मु.न. 229/2019 हाल मु.न. 115/2022 उनवानी भौरीदेवी बनाम शंकर व अन्य न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय बस्सी व अपील 30/2019 उनवानी भौरीदेवी बनाम शंकर व अन्य न्यायालय अतिरिक्त जिलाधीश महोदय प्रथम जयपुर दोनो को प्रथम पक्ष अपने खर्चे से अपनी इच्छा से, बिना किसी दाब दबाव के, बिना किसी बहकावे के बिना किसी नशे पते के, अपनी स्वतन्त्र इच्छा से वापस "विड्रो" करेगी। इस हेतू यह राजीनामा लिख दिया है। उक्त राजीनामा की रोशनी में प्रथम पक्ष के अथवा उनके किसी वारिस उत्तराधिकारी के कोई हक अधिकार उक्त भूमि मे नही रहे है, ना ही भविष्य मे प्रथम पक्ष अथवा उसके वारिस उत्तराधिकारी आदि उक्त भूमि मे किसी भी प्रकार के अपने कोई हक अधिकार क्लेम करेगे। यदि ऐसा करते है तो उक्त राजीनामे की रोशनी मे अमान्य एवम शून्य समझे जावेगे। उक्त राजीनामे से प्रथम पक्ष, उसके वारिस, उत्तराधिकारी एजेन्ट, सर्वेन्ट, दायभागी आदि सभी पूर्णतया पाबंद रहेगे व भविष्य में मुकदमा अपील आदि का अधिकार नही होगा। अन्य किसी भी प्रकार से क्लेम करने का अधिकार नही होगा। पक्षकारान के मध्य हुआ राजीनामा प्रथम पक्ष की ओर से प्रस्तुत वाद पत्र 229/2019 हाल मु.न. 115/2022 व अपील 30/2019 का अभिन्न अंग रहेगा। उक्त राजीनामे की रोशनी में एवम कानून की परिछाया मे प्रथम पक्ष व उसके वारिस, उत्तराधिकारियो के वादग्रस्त मे कोई हक अधिकार शेष नहीं रहे है। यदि प्रथम पक्ष या उसके कोई वारिस उक्त राजीनामे की के विपरित आचरण करते है तो वह अमान्य, कानून विरूद्ध व राजीनामे के विरूद्ध समझा जावेगे एवम कुछ भी प्राप्त करने के अधिकारी नही होगे। जगन्नाथ पुत्र गोदू हिस्सा 1/2 की विरासत को लेकर एक अपील एल.आर./6481/2019/जयपुर/ उनवानी शंकर बनाम भौरीदेवी व अन्य राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर मे विचाराधीन चल रही है, जिसमे भी प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष के मध्य आपस मे राजीनामा हो गया है जिसके तहत प्रथम पक्ष भौरीदेवी उर्फ रूपा देवी उपरवर्णित कानून के मध्यनजर अपनी सहमती देकर द्वितीय पक्ष शंकर पुत्र श्योजीराम पोत्र	

धन्नालाल के नाम जगन्नाथ पुत्र गोदू की विरासत का नामान्तरकरण खुलवा कर भूमि लगवाने की सहमती देती है। प्रथम पक्ष जगन्नाथ पुत्र गोदू की विरासत उपरवर्णित कानून के मध्यनजर द्वितीय पक्ष शंकर के नाम लगवाने हेतु सहमत है। द्वितीय पक्ष शंकर के नाम जगन्नाथ पुत्र गोदू की विरासत द्वितीय पक्ष शंकर के नाम खुलवाने–लगवाने के लिए तहसीलदार बस्सी को उक्त द्वितीय अपील/एल.आर./6481/2019/जयपुर/ उनवानी शंकर बनाम भौरीदेवी व अन्य विचाराधीन राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर को रिमाण्ड करने की सहमती देती है। उक्त सहमती से प्रथम पक्ष एवम उसके वारिस उत्तराधिकारी पूर्णतया सहमत है। भविष्य मे किसी भी प्रकार का विरोध करने का अधिकार प्रथम पक्ष व उसके वारिसो को नही होगा। जहाँ भी भोरीदेवी के शंकर के पक्ष मे जवाब, शपथ पत्र, बयान आदि की आवश्यकता होगी देने हेतू बाध्य रहेगी। किसी भी प्रकार की आना कानी नहीं करेगी। ना ही प्रथम पक्ष अथवा उसके वारिस किसी भी प्रकार के अपने अधिकारो के लिए क्लेम करेगे। यदि किसी कारण से प्रथम पक्ष अथवा उसके वारिस जगन्नाथ पुत्र गोदू की विरासत द्वितीय पक्ष के नाम लगवाने में आना कानी करते भी है तो उक्त राजीनामे बाबत लेख्य पत्र की रोशनी में उन्हे विरोध करने का अधिकार नही होगा। उक्त लेख्य पत्र की रोशनी मे प्रथम पक्ष की सहमती एवम स्वीकारोक्ती स्वतः समझी जावेगी एवम द्वितीय पक्ष जगन्नाथ पुत्र गोदू की विरासत अपने नाम लगावाने का अधिकारी होगा। प्रथम पक्ष अथवा उसके वारिसो को आपत्ति करने का अधिकार नही होगा। इस प्रकरण में उभय पक्ष के मध्य राजीनामा हो चुका है तथा उभय पक्ष के मध्य कोई विवाद शेष नहीं रहा है तथा अपील को स्वीकार कर न्यायालय संभागीय आयुक्त जयुपर का निर्णय दिनांक 16–9–2019 निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार बस्सी को प्रतिप्रेषित किये जाने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

3. पत्रावली का अवलोकन किया। उभय पक्ष ने राजीनामा पत्र दिनांक 31–12–2024 जो 500/–रूपये के नोन ज्यूडीशियम स्टाम्प नोटेरी से तस्दीकशुदा प्रस्तुत कर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर न्यायालय संभागीय आयुक्त जयुपर का निर्णय दिनांक 16–9–2019 व तहसीलदार बस्सी का आदेश दिनांक 12–2–2016 को खारिज किये जाने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया है। ऐसी स्थिति में उभय पक्षों के मध्य हुये राजीनामें एंव प्रस्तुत राजीनामें के अनुसार हस्तगत् अपील स्वीकार की जाकर न्यायालय संभागीय आयुक्त जयुपर का निर्णय दिनांक 16–9–2019 व तहसीलदार बस्सी का आदेश दिनांक 12–2–2016 को निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार बस्सी को निर्देश दिये जाते है कि मृतक जगन्नाथ पुत्र गोदू के विरासत के नामांतरकरण की कार्यवाहीं राजीनामा के अनुसार करें।

4. अधीनस्थ न्यायालयों को अभिलेख आदेश प्रति एवं राजीनामें की प्रति के साथ लौटाया जाकर पत्रावली बाद फैसल शुमार दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सुनाया गया।

(मदनलाल नेहरा)
सदस्य